

प्रेस वार्ता रिपोर्ट

जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिनीवल मिशन के
तहत दिल्ली नगर विकास योजना के निर्माण में
अपारदर्शिता बरती गयी

16 मार्च 2007

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली

www.ccs.in/jnnurm पर प्रति उपलब्ध

सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी

के-36, हौजखास एन्क्लेव, नई दिल्ली 110016

दूरभाष : 011-26537456 / 26521882 फैक्स : 011-26512347

ईमेल : ccs@ccs.in वेबसाइट : www.ccs.in



CENTRE FOR CIVIL SOCIETY

K-36 Hauz Khas Enclave, New Delhi 110 016
Voice: 2653 7456/ 2652 1882 Fax: 2651 2347
Email: ccs@ccs.in Website: www.ccs.in

BOARD OF SCHOLARS

Isher Judge Ahluwalia
Swaminathan Aiyar
Jagdish Bhagwati
Surjit S Bhalla
Mahesh P Bhatt
Bibek Debroy
Meghnad Desai
Shreekant Gupta
Deepak Lal
Kirit Parikh
IG Patel
Urjit Patel
Subroto Roy
Ajay Shah
Nirvikar Singh
Suresh Tendulkar
Kiran Wadhwa
Leland B Yeager

CHAIRMAN
Kanwal S Rekhi

PRESIDENT
Parth J Shah

प्रेस वार्ता रिपोर्ट

‘सामाजिक संस्थाओं ने दिल्ली नगर विकास योजना की तीखी आलोचना की’

जनता से राय लिये बगैर ही दिल्ली पर खर्च होंगे 9000 करोड़ रुपये से ज्यादा

सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी ने शुक्रवार दिनांक 16 मार्च 2007 को अपराह्न 3:30 बजे से 4:30 बजे के बीच प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में ‘नेशनल अर्बन रिनीवल मिशन के तहत दिल्ली नगर विकास योजना के निर्माण में पारदर्शिता की कमी’ को उजागर करते हुए एक प्रेस वार्ता आयोजित की।

- दिल्ली नगर विकास योजना (CDP) को IL & FS ने दिल्ली सरकार के लिए तैयार किया। सीडीपी बनाने से पहले कुछ अनौपचारिक विचार-विमर्श किये गये थे, लेकिन सीडीपी बनाने के बाद नहीं।
- सोचने वाली बात यह है कि इसे दिखाने हेतु किये गये एक सूचनाधिकार आवेदन के जवाब में दिल्ली सरकार ने इसे सार्वजनिक किये जाने से ही इनकार कर दिया।



(बायें से) अल्पना किशोर, वी सी टंडन, विजय जोली, श्रीकांत गुप्ता, कल्याणी मेनन-सेन, प्रमोद चावला

वक्ताओं में थे :

1. श्री विजय जोली – विधायक, साकेत
2. श्री वी सी टंडन – प्रेसीडेंट, दिल्ली रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ज्वायंट फ्रंट
3. डॉ. श्रीकांत गुप्ता – पूर्व निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एवं प्राध्यापक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स
4. श्री प्रमोद चावला – कन्वेनर, यू आर जे ए भारत 2000
5. सुश्री कल्याणी मेनन-सेन – जागोरी
6. सुश्री अल्पना किशोर – संयोजक, नई दिल्ली पीपल्स अलायंस (एन डी पी ए)

श्री विजय जोली (विधायक, साकेत) ने कहा :

- ❖ दुख के साथ ही उन्होंने इस बात पर काफी आश्चर्य भी व्यक्त किया कि दिल्ली सरकार ने सीडीपी पर किसी से कोई सलाह नहीं ली। उन्होंने कहा कि इसे भागीदारी पद्धति से संपन्न किया जा सकता था।
- ❖ विधायिका, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर निगम एवं दिल्ली की करोड़ भर जनता को पूर्णतः नजरंदाज कर दिया गया।
- ❖ नगर को यह तय करने का अधिकार है कि 9031.60 करोड़ रुपये कहाँ और कैसे खर्च किये जाएँ। अपारदर्शिता से ठेकेदार-राजनीति माफिया को बल मिलेगा।
- ❖ एक कंसल्टेंट द्वारा 18 लाख की मोटी रकम लेकर जल्दबाजी में तैयार किये गये सीडीपी को सरकार द्वारा आगे बढ़ाना निंदनीय है।
- ❖ सीडीपी को वापस लिया जाए एवं इसे जनता के बीच बहस के लिए सार्वजनिक किया जाए।
- ❖ उन्होंने सीडीपी की निर्माण प्रक्रिया को सहभागितापूर्ण बनाने के इस प्रयास की मुक्तकंठ से प्रशंसा की।



श्री वी. सी. टंडन (प्रेसीडेंट, दिल्ली रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ज्वायंट फ्रंट) ने मांग की :

- ❖ सीडीपी का दस्तावेज गोपनीय नहीं होना चाहिए।
- ❖ लोगों की राय पहले ली जानी चाहिए न कि योजना की स्वीकृति के बाद।
- ❖ दिल्ली सरकार रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशनों के विचारों पर ध्यान दें।
- ❖ मुख्यमंत्री दो साल पहले किये गये अपने इस वादे को पूरा करे, जिसमें उन्होंने कहा था कि RWA से विचार-विमर्श करने के लिए बातचीत की एक समुचित प्रक्रिया निश्चित की जाएगी।
- ❖ दिल्ली सरकार को दिल्ली के मास्टर प्लान के इस दुखद इतिहास को पुनः नहीं दोहराना चाहिए, जब उसने 7000 सुझावों को सिर्फ तीन दिनों में ही निपटा दिया था।



डॉ. श्रीकांत गुप्ता, पूर्व निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर एवं प्रोफेसर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की नजर में :

- ❖ यह सीडीपी दिल्ली के गाल पर एक तमाचा है। सीडीपी को अविलंब वापस लिया जाए। आम जनता से विचार-विमर्श कर इसमें अपेक्षित सुधार किये जाएँ। और नयी सीडीपी को ही सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाए। यह किसी कंसल्टेंट की सोच नहीं होनी चाहिए।
- ❖ सीडीपी दिल्ली मास्टर प्लान को एवं मास्टर प्लान सीडीपी को नजरंदाज करता है। दोनों में ही एक दूसरे के बारे में पूर्ण अनभिज्ञता परिलक्षित होती है।
- ❖ सीडीपी का अनुवाद हिंदी, पंजाबी एवं उर्दू जैसी अन्य भाषाओं में किया जाए, ताकि आम लोग बहस की प्रक्रिया में भाग ले सकें।
- ❖ पारदर्शिता का अभाव जेएनएनयूआरएम को एक ऐसा कार्यक्रम बना देगा, जो नौकरशाहों का, नौकरशाहों के द्वारा एवं नौकरशाहों के लिए होगा।
- ❖ यह एक मजाक ही है कि दिल्ली के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की सूची सार्वजनिक है, पर सीडीपी नहीं है।
- ❖ बड़े ही दुख की बात है कि इतनी बौद्धिक संपदाओं से संपन्न होने के बावजूद दिल्ली को योजना निर्माण प्रक्रिया से दूर रखा गया।




सुश्री कल्याणी मेनन-सेन (जागोरी) ने निम्नलिखित मुद्दे उठाये :

- ❖ नगर की योजना निर्माण में स्टेकहोल्डर को पारिभाषित नहीं किया गया है।
- ❖ नगर के योजना निर्माण में देश के दूसरे हिस्सों से आयीं महिलाओं एवं हाल ही स्वीकृत कॉलोनियों की महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है।
- ❖ सिर्फ शिक्षित एवं शक्तिशाली लोग ही योजना निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।
- ❖ निजी कंसल्टेंट (IL & FS) महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर क्या सोचते हैं?
- ❖ बिना स्वीकृत हुए ही सीडीपी किस प्रकार गोपनीय दस्तावेज हो गया और एक बार स्वीकृत हो जाने के बाद यह किस प्रकार सार्वजनिक दस्तावेज हो जाएगा?
- ❖ अलग-अलग शहरों की सीडीपी का प्रारूप एक ही है। क्या वे एक दूसरे की आंख मूंद कर की गयी नकल मात्र हैं?



श्री प्रमोद चावला (यूनाइटेड रेजीडेंट्स ज्वायंट एक्शन भारत 2000) ने इन बातों के लिए सरकार की आलोचना की :

- ❖ जेएनएनयूआरएम, यमुना सफाई एवं राष्ट्रमंडल खेल जैसी बड़ी परियोजनाओं में पारदर्शिता नहीं अपनाए जाने के लिए।
- ❖ अपने कार्यक्रमों के परिणामों की जाँच हेतु जनसुनवाई नहीं करने के लिए।
- ❖ अपने खर्च में अपारदर्शी रवैया अपनाने के लिए। सामाजिक संस्थाओं को इस पर नजर रखनी चाहिए।
- ❖ ऐसे जागरूक लोगों का समूह नहीं बनाने के लिए, जो नगर योजना प्रक्रिया में भाग ले सकें।



अल्पना किशोर (संयोजक, न्यू दिल्ली पीपुल्स एलायंस) ने सरकार पर निम्नलिखित आरोप लगाए :

- ❖ सीडीपी ने दिल्लीवासियों को पूर्णतः नजरंदाज किया है।
- ❖ निर्णय ले लेने एवं सभी ठेकों का आवंटन कर दिये जाने के बाद ही किसी से कोई विचार किया जाता है। विरोध करने वाले को परियोजना को लंबा खींचने एवं ऋण की ब्याज का बोझ बढ़ाने के लिए समस्या तथा विकास विरोधी के रूप में देखा जाता है।
- ❖ सार्वजनिक बहस एवं विचार-विमर्श के लिए यथोचित समय, कम-से-कम छः महीने भी, नहीं दिया गया।
- ❖ नागरिकों की मैट्रो एवं बीआरटीएस जैसी परियोजना में कोई हस्तक्षेप नहीं।
- ❖ 'जनता से विचार-विमर्श' को पारिभाषित नहीं किया गया है।



अन्य सूचनाओं के लिए कृपया संपर्क करें :

मकरंद बकोरे

सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, 9312444725, 23537456 / 26521882, makarand@ccs.in